सादर मुकदमा 76 / 2020
भगवान सीम सीन बनाम अंजू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 45 / 2024

1. भीमसैन पुत्र रामप्रताप जाति सुथार निवासी चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह० व जिला श्री गंगानगर ।
2. सीताराम उर्फ रेखाराम पुत्र रामप्रताप जाति सुथार निवासी चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह० व जिला श्री गंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. अंजु पत्नी राजीव जाति सुथार निवासी चक 2 वाई आमदा रकबा 3 गुमजाल तह० व जिला श्री गंगानगर ।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति सुथार निवासी चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह० व जिला श्री गंगानगर।
3. नन्दराम पुत्र रामप्रताप जाति सुथार निवासी चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह० व जिला श्री गंगानगर ।
4. वीरखा पत्नी पालीराम पुत्री रामप्रताप जाति सुथार निवासी चक 15 एल एम तह0 अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।
5. वीरापती पत्नी लालचंद, पुत्री रामप्रताप जाति सुथार निवासी चक 2 एन डी तह0 घड़साना जिला श्री गंगानगर ।
6. भाखरराम पुत्र रामप्रताप जाति सुथार निवासी चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह० व जिला श्री गंगानगर ।
7. रामकरण पुत्र बोगाराम जाति सुथार निवासी चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह० व जिला श्री गंगानगर ।
8. रोशनी पत्नी कृष्णलाल, पुत्री रामप्रताप जाति सुथार निवासी चक 4 केएम डब्ल्यू रोजड़ी तह० घड़साना जिला श्री गंगानगर ।
9. संतरो पत्नी दलीप कुमार, पुत्री रामप्रताप जाति सुथार निवासी गांव पन्नीवाली तह0 अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) ।
10. हनुमान पुत्र रामप्रताप जाति सुथार निवासी चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह0 व जिला श्री गंगानगर।
11. हंसराज पुत्र रामप्रताप जाति सुथार निवासी चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह0 व जिला श्री गंगानगर।
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्री गंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

	– –	प्रार्थीगण
1. श्री पृथ्वी राज शर्मा	– –	अप्रार्थी 1 ता 3, 6, 10, 11
2. श्री कुलविन्द्र सिंह	– –	अप्रार्थी 12
3. पैरोकरा राज		

अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7, 8, 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

–ः आदेश ः–

दिनांक :– 22.01.2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह० व जिला श्री गंगानगर के हिस्सेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का रकबा हाजा के खाता सं0 48/3, मु0न0 46 के किला न0 10/1, 11/2, 19/1, 20/2 व मु० न० 47 के किला न0 6 व 7, मुरब्बों का कुल रकबा 0.706 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है, जमाबंदी की नकल शामिल है। प्रार्थीगण को अपने रकबा में जाने–आने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि आमदा रकबा गुमजाल तहसील श्री गंगानगर के मु० न0 46 के किला न0 18/1 की कूंट में से दो बिस्वा चौडाई में रास्ता की आवश्यकता है, जिससे कि प्रार्थीगण अपने रकबा में आसानी से आ–जा सके तथा यही रास्ता प्रार्थीगण के रकबा के लिए सुविधाजनक होगा। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता का विकल्प नहीं है, ना ही प्रार्थीगण के रकबा के लिए अन्य कोई रास्ता चल रहा है, प्रस्तावित रास्ता सुविधाजनक व नजदीकी है। प्रार्थीगण के रास्ता के अभाव में अपने रकबा में फसल बीजांद नहीं कर पा रहे है। अप्रार्थीगण के रकबा चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 3/32 के मु0न0 46 की जमाबंदी संलग्न है तथा पटवारी द्वारा जारी आंशिक नक्शा की प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण रास्ता में आने वाली भूमि के बदले डी एल सी रेट के अनुसार मुआवजा राशि देने के लिए तैयार है। प्रार्थना–पत्र काबिल समाअत अदालतवाला है, उचित न्यायशुल्क पर पेश है। लिहाजा प्रार्थना–पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थीगण के रकबा चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह० व जिला श्री गंगानगर के मु० न0 46 व 47 के लिए अप्रार्थीगण के रकबा चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 3/32 के मु० न० 46 के किला न0 18/1 की कूंट में से 2 बिस्वा चौडाई में रास्ता स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का हुकम फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7, 8, 9 को जारी नोटिस पर विधिवत तामील होने पर एवम् अप्रार्थीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 6, 10, 11 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आ.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 2 वाई आमदा रकबा गुमजाल के खाता सं0 48/3 की भूमि मुस्तरका खाता में दर्ज है जिसके विभाजन के संबंध में जारी डिक्री के खिलाफ अपील अनवानी ओमप्रकाश बनाम भीमसेन व अन्य श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन चल रही है जिसमें श्रीमान् अदालत राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा स्थग्न आदेश पारित किया गया है, इस स्थिति में प्रार्थी उक्त भूमि स्वयं की बताकर रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद सं0 2 में वर्णित तथ्य मिथ्या दर्ज होने के कारण स्वीकार नहीं है, प्रार्थियान अप्रार्थी के मुरब्बा नं0 46 के किला नं0 18/1 की कूंट (कोना) में से दो बिस्वा चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है जबकि प्रार्थयान की भूमि में आने–जाने हेतु मुरब्बा नं0 46 के किला नं0 19–13–10 में से रास्ता चालू स्थिति में है तथा उक्त रास्ता प्रार्थियान हेतु सुविधाजनक एवं नजदीकी है। प्रार्थियान उक्त चालू रास्ता को मंजूर ना करवाकर नुकसान पहुंचाने के आशय से रंजिशवश अप्रार्थियान का मुरब्बा नं0 46 के किला नं0 18/1 की कूंट से रास्ता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

स्वीकृत करवाना चाहते हैं। अगर कूंट में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मन अप्रार्थियान की भूमि दो भागों विभाजित होने से भूमि की जोत में असुविधा होगी। जिस कारण मन अप्रार्थियान उक्त चाहे गये रास्ता बाबत सहमत नहीं है। जिस कारण मन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है। अगर किला नं0 19-20, 11-19 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मुरब्बा नं0 47 व 54 में आने-जाने का प्रार्थी का रास्ता पूरी तरह से बंद होने से मन अप्रार्थियान को ना पूरा होने वाला नुकसान उठाना पड़ेगा। अतिरिक्त कथन-क. यह कि प्रार्थियान द्वारा उक्त मामला में अप्रार्थीगण का सही पता नहीं दर्ज कर गलत पते के आधार पर उक्त प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है क्योंकि अप्रार्थीगण 4, 5, 8, 9 का विवाह हो चुका है जिस कारण पता सही नहीं है जिस आधार पर भी उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है । ख. यह कि उक्त रकबा संयुक्त खाता का है जिस पर मुरब्बा नं0 46 के किला नं0 10/1, 11/2, 19 /1, 20 /2 व मुरब्बा नं0 47 के किला नं0 6 व 7 की भूमि पर प्रार्थियान का कब्जा स्वीकार नहीं है। संयुक्त खाते की भूमि बाबत विभाजन का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण प्रार्थियान उक्त भूमि पर रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना-पत्र पेशकर अर्ज है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। **वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि** प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. स्वीकृत किया जावे। **वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि** प्रार्थयान की भूमि में आने-जाने हेतु मुरब्बा नं0 46 के किला नं0 19-13-10 में से रास्ता चालू स्थिति में है तथा उक्त रास्ता प्रार्थियान हेतु सुविधाजनक एवं नजदीकी है। प्रार्थियान उक्त चालू रास्ता को मंजूर ना करवाकर नुकसान पहुंचाने के आशय से रंजिशवश अप्रार्थियान का मुरब्बा नं0 46 के किला नं0 18/1 की कूंट से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए आर.टी.ए. खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र 251ए के प्रार्थना पत्र में वैकेल्पिक रास्ता अभाव एवं रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता के बिन्दु पर विचार किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी वर्तमान मे मु० न० 47 के किला न0 6 मे बनी हुई ढाणी तक जाने के लिए मु० न० 46 के किला न0 22 में से मौका पर एक-एक बिस्वा घरेलू रास्ता से आना जाना करता है। प्रार्थी के पास रास्ते का विकल्प मौजूद है। जिससे प्रार्थी के पास रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा मु0 न0 46 के किला न0 5-6-7-13-14-18-19-22 में नहर के रकबा से रास्ता चाहा गया है जो कि दिया जाना संभव नहीं है। न्यायालय उक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251-ए आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नहीं पाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251-ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner